बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023–   (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–35 मु0/रा0, दिनांक–22.05.2023 से प्राप्त सूचनानुसार **श्री अजय कुमार सरकार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नारायणपुर, भागलपुर** को थानाध्यक्ष, महिला थाना, नवगछिया, भागलपुर के द्वारा प्राथमिकी सं0–20/23, दिनांक–21.05.2023 के अन्तर्गत 376, 354(डी0)/420/506 IPC के तहत गिरफ्तार किये जाने की तिथि–21.05.2023 एवं निलम्बन करने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1127(15) दिनांक–06.06.2023 से निलम्बित किया गया।

2. विभागीय संकल्प सं0–127(15) दिनांक–23.01.2024 द्वारा अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–118/रा0, दिनांक–14.10.2023 द्वारा श्री सरकार के जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक–29.08.2023 को भागलपुर समाहरणालय, जिला राजस्व शाखा में योगदान समर्पित किये जाने की सूचना के आलोक में श्री सरकार को निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 के उप कंडिका (क), (ग) एवं कंडिका–3 की उप कंडिका–(II) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री सरकार को योगदान की तिथि–29.08.2023 से पुनः निलम्बित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री सरकार का मुख्यालय – प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर निर्धारित गया।

3. समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–95(प्र0)/रा0 दिनांक–30.08.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री सरकार द्वारा आवेदिका श्रीमती कंचन देवी, पति–श्री रंजीत कुमार गुप्ता, सा0–मधुरापुर बाजार, थाना–बिहपुर, भागलपुर का दाखिल खारिज करने के एवज में अनैतिक कृत्य किये जाने के आरोप में महिला थाना–नवगछिया भागलपुर के द्वारा प्राथमिकी सं0–20/23, दिनांक–21.05.2023 के अन्तर्गत 376, 354(डी0)/420/506 IPC के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–103/रा0 दिनांक–14.09.2025 से प्राप्त मंतव्य पर समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0–705(15) दिनांक–29.05.2026 द्वारा श्री अजय कुमार सरकार को निलम्बन मुक्त किया गया।

5. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सरकार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

7. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, भागलपुर** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भागलपुर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

8. श्री अजय कुमार सरकार, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, भागलपुर/अपर समाहर्त्ता, भागलपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भागलपुर/श्री अजय कुमार सरकार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नारायणपुर, भागलपुर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, भागलपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भागलपुर/श्री अजय कुमार सरकार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नारायणपुर, भागलपुर **सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023–............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ज़ाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023–....907.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–24/06/2026

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Ajay kr sarkar_CO_(Narayanpur_bhagalpur).doc